राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक :– एफ.136 / कम्प / एसआईटेकईश्यू / 2022 / 2814 दिनांक 20/01/2023

दिशा–निर्देश

विषयः– एसआईपीएफ पोर्टल पर दिनांक 01.04.2022 से पूर्व की बकाया रही राज्य बीमा पॉलिसी जारी करने के सम्बन्ध में।

वर्तमान मेंएसआईपीएफ पोर्टल के 3.0 वर्जन पर समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं। अतः एसआईपीएफ पोर्टल पर दिनाक 01.04.2022 से पूर्व की बकाया रही राज्य बीमा पॉलिसी जारी करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. दिनांक 01.04.2022 से पूर्व की जो भी बीमा पॉलिसियां जारी करने के मामले लंबित हो एवं उनके घोषणा पत्र हार्ड कॉपी में विभाग में उपलब्ध हो तो ऐसे प्रकरणों में अविलम्ब एसआईपीएफ पोर्टल के 2.0 वर्जन पर पॉलिसियां जारी करायी जाकर संबंधित घोषणा पत्र को न्यू वर्जन के ई–बैग में अपलोड कराते हुए डेटा भी नए वर्जन में शिफ्ट करवाया जावे। एसआईपीएफ पोर्टल 2.0 पर पॉलिसी जारी करने हेतु अपने सम्भाग के हेल्पडेस्क कार्मिक के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य को पूर्ण किया जावें।
2. जिन प्रकरणों में अभी तक यदि प्रथम घोषणा पत्र की हार्डकॉपी विभाग में अप्राप्त है तथा पोर्टल के 2.0 वर्जन में सबमिटेड है किन्तु एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन में अनुपलब्ध है तो ऐसे प्रकरणों में नए सिरे से 3.0 पर प्रथम घोषणा पत्र सबमिट करने का ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसमें बीमेदार की जोखिम वर्ष में हुई प्रथम बीमा कटौती के सत्यापन के बाद एसआईपीएफ यूजर्स द्वारा कार्यवाही की जाकर पॉलिसी जारी कर दी जावे।
3. दिनांक 01.04.2020, 01.04.2021 एवं इससे भी पूर्व के जो फरदर फॉर्म एसआईपीएफ पोर्टल 2.0 में सबमिटेड थे, वे सभी एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में SI > Old Further Declaration में उपलब्ध करवा दिये गये है।
4. जिन प्रथम घोषणा–पत्रों में प्रीमियम अथवा DoR का इंद्राज यदि बीमेदार द्वारा गलत किया गया हो तो उसे एसआईपीएफ यूजर द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध प्रीमियम से सत्यापित कर दुरूस्त किये जाने की सुविधा यूनिट हेड के स्तर पर SI > Policy Generation में उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(धनलाल शेरावत)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :– एफ.136 / कम्प / एसआईटेकईश्यू / 2022 / 2815–2866 दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, बीमा राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
4. सहायक / उप / संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स